कार्यालय
वनमण्डलाधिकारी,
नीमच (म.प्र.)

E-mail- dfot.nmh@mp.gov.in Phone No. (07423) 226605

क्रमांक / मा.चि. / 2021 / 01 नीमच, दिनांक– 03/01/2022

प्रति,

M/s Greenko Energies Private Limited
Plot no.1071, Road No.44,Jubilee Hills
Hyderabad, Telangana-500 033

विषयः– Diversion of 301.96 ha. Forest land for the construction of MP-30 Gandhi Sagar Off-stream Pumped Storage Project (1440 MW), by M/s Greenko Energies Private Limited, Hyderabad in Neemuch Forest Division, Neemuch District of Madhya Pradesh State (Online proposal No.FP/MP/HYD/116943/2020)-reg.

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ,भोपाल का पत्र क्रमांक 8-18/2021-FC, दिनांक 24.08.2021 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–4 / 23 / 2021 / 10–11 / 2902 दिनांक 31.08.2021.

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ,क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल ने संदर्भित पत्र में अधिरोपित शर्तो के तहत् सैद्धांतिक सहमति प्रदान की हैं। जिसके तारतम्य में शर्त क्रमांक B-(i) एवं B-(ii) के तारतम्य में निम्नानुसार राशियॉ कैम्पा मद में ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से जमा की जाना हैं।

01. शर्त क्रमांक B-(i) :–प्रकरण में वनमण्डलाधिकारी शिवपुरी द्वारा तैयार की गई रकबा 334.88 हेक्टेयर भूमि की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अनुसार राशि रूपये 21,48,57,606 / – आवेदक संस्था द्वारा जमा करायी जाना हैं। उक्त राशि में से पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रुपये 1,95,32,510 / –राज्य के राजस्व मद **"0406 वानिकी और वन्य जीवन (01) वानिकी, (800) अन्य प्राप्तियॉ, (0229) विविध प्राप्तियॉं"** में ई–चालान द्वारा जमा की जाकर चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये तथा वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की शेष राशि 19,53,25,096 / – कैम्पा मद में ई–पोर्टल (http://forestclearance.nic.in) के माध्यम से जमा की जाये।

02. शर्त क्रमांक B-(ii) :–प्रकरण में प्रभावित होने वाली 301.96 हेक्टेयर वनभूमि की नेट प्रजेन्ट वेल्यु (NPV) राशि रुपये 20,19,88,670 / –कैम्पा मद में ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से जमा की जावें।

साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ,क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के संदर्भित पत्र से जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित सभी शर्तो का पालन प्रतिवेदन टेबुलर फार्म में तैयार कर इस कार्यालय को 03 प्रतियों में भिजवाना सुनिश्चित करें। जिन शर्तो के लिये वचन पत्र / प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो, तो तदनुसार पालन प्रतिवेदन के साथ 03 प्रतियों में संलग्न किये जावें।

(विजय सिंह)
I.F.S.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच
नीमच, दिनांक :–03/01/2022

पृ.क्र. / मा.चि. / 2021 / 02

प्रतिलिपिः–

01. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
02. मुख्य वनसंरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच